झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

अपराधिक विविध याचिका संख्या 200/2024

दिलीप कुमार सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष, पिता- श्री शिव दरश सिंह, निवासी- फ्लैट संख्या 502/बी, वसुंधरा गार्डेन, हरिहर सिंह रोड, डाकखाना- मोराबादी, थाना.- बरियातू, जिला- रांची।

.....याचिककर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... विपक्षी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री राहुल कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष लोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

<u>माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी</u>

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दिनांक 19.01.2017, 05.11.2019 और 01.12.2023 के आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके द्वारा क्रमशः धारा 82, दं.प्र.सं. के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी, धारा 83, दं.प्र.सं. के तहत कुर्की आदेश जारी किया गया था और उस आदेश में गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था; कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत जी (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 के संबंध में विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट (SDJM), रामगढ़ द्वारा पारित किया गया था और उक्त मामला विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ के समक्ष लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता उक्त जी. (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 का अभियुक्त है, जिसका संज्ञान 25.05.2015 को लिया गया था, लेकिन निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता पर कभी भी सम्मन तामील नहीं की गई और जमानती गिरफ्तारी वारंट की निष्पादन रिपोर्ट के बिना ही दिनांक 04.06.2016 के आदेश के तहत गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। 19.01.2017 को बिना इस बात की संतुष्टि दर्ज किए कि याचिकाकर्ता फरार है या गिरफ्तारी से बचने

के लिए खुद को छिपा रहा है, जो कि दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए अनिवार्य है, उद्घोषणा जारी कर दी गई और 05.11.2019 को दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की निष्पादन रिपोर्ट के बिना ही दं.प्र.सं.की धारा 83 के तहत कुर्की आदेश जारी कर दिया गया और पुनः दिनांक 01.12.2023 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उक्त जी. (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए, याचिकाकर्ता के पीठ पीछे, कानून के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किए बिना, दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत, गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट और उद्घोषणा जारी करना और दं.प्र.सं.की धारा 83 के तहत कुर्की आदेश जारी करना कानूनन टिकने योग्य नहीं है। इसलिए यह निवेदन किया गया कि विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा जी. (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 के संबंध में पारित दिनांक 19.01.2017, 05.11.2019 और 01.12.2023 के आदेशों, जो अभी विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ के समक्ष लंबित है, को निरस्त और अपास्त किया जाए।

5. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा जी. (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 के संबंध में पारित दिनांक 19.01.2017, 05.11.2019 और 01.12.2023 के आदेशों को रद्द करने और अपास्त करने की प्रार्थना का विरोध किया, जो अभी विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ के समक्ष लंबित है, और प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा और संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया है, अपने आप में यह दर्शाता है कि रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री उपलब्ध थी जिससे विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ संतुष्ट हो सके कि ऐसी उद्घोषणा और कार्यवाही जारी करने का औचित्य है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि यह अपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के होने की वजह से, खारिज किया जाए।

6. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात्, यह उल्लेख करना उचित है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को सम्मन जारी करता है, तो सम्मन की तामील के बिना, संबंधित न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जा सकता।

7. अब, अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि विद्वान ट्रायल न्यायालय ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है, किन्तु अभिलेख से ही यह स्पष्ट है कि उक्त समन याचिकाकर्ता पर कभी तामील नहीं किया गया तथा याचिकाकर्ता को जारी समन की तामील रिपोर्ट के बिना, निश्चित रूप से विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.06.2016 के आदेश द्वारा गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी करके गंभीर त्रुटि की है।

8. तदनुसार, विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा जी. (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 के संबंध में पारित दिनांक 04.06.2016 के उक्त आदेश को रद्द और अपास्त किया जाता है।

9. जहां तक दिनांक 19.01.2017 के आदेश का संबंध है, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अब यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि जो न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करता है, उसे अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि जिस अभियुक्त के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है, वह फरार है या गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और यदि न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने का निर्णय लेता है, तो उसे उस आदेश में ही, जिसके द्वारा दं.प्र.सं.की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, उस आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समय और स्थान का उल्लेख करना होगा, जिसके संबंध में ऐसी उद्घोषणा की जाती है। जैसा कि पहले ही ऊपर दर्शाया गया है, चूंकि विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने न तो इस बात पर अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि याचिकाकर्ता फरार है या गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को छिपा रहा है और न ही याचिकाकर्ता की उपस्थिति के लिए कोई समय या स्थान तय किया है, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने कानून की अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन किए बिना दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उक्त उद्घोषणा जारी करके ग़ैरक़ानूनी कार्य किया है। अतः यह कानूनन टिकने योग्य नहीं है तथा इसे जारी रखना वैधानिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा, अतः यह उपयुक्त मामला है, जिसमें दिनांक 19.01.2017 के आदेश को निरस्त और अपास्त कर दिया जाए।

10. तदनुसार, जी. (एफ.आई.) प्रकरण संख्या 89/2015 में विद्वान उप-मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा पारित दिनांक 19.01.2017 के आदेश को निरस्त और अपास्त किया जाता है।

11. जहां तक दिनांक 05.11.2019 के आदेश का संबंध है, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि दं.प्र.सं. की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, उद्घोषणा जारी होने के पश्चात, किसी भी समय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उद्घोषित व्यक्ति की किसी भी चल या अचल या दोनों सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब, अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री न होने के कारण जो यह सुझाव देता हो कि दं.प्र.सं. की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा वास्तव में विधि के अनुसार की गई थी, निश्चित रूप से विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ ने याचिकाकर्ता की सम्पत्ति की कुर्की का आदेश पारित करके अवैधता की है, जिसमें कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण भी उल्लेखित नहीं किया गया है और कुर्की का ऐसा आदेश पारित करने की आवश्यकता के बारे में लिखित रूप में कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। अतः ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा जी. (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 में पारित दिनांक 05.11.2019 का आदेश भी कानून के अनुसार नहीं है और इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है, जहां विद्वान उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़ द्वारा जी. (एफ.आई.) केस संख्या 89/2015 में पारित दिनांक 05.11.2019 के आदेश को रद्द और अपास्त कर दिया जाए।

12. तदनुसार, विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, रामगढ़ द्वारा जी. (एफ.आई.) वाद संख्या 89/2015 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2019 को निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

13. जहां तक आदेश दिनांक 01.12.2023 का संबंध है, चूंकि पूर्व में भी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, तत्पश्चात दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा एवं दं.प्र.सं. की धारा 83 के तहत प्रक्रिया पहले ही जारी की जा चुकी थी, अतः गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने से पूर्व विद्वान न्यायालय ने अपनी संतुष्टि दर्ज की होगी कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है, किन्तु ऐसा न करने पर दिनांक 01.12.2023 का आदेश विधि सम्मत नहीं है, तदनुसार उसे भी निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

14. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता इस निर्णय की तारीख से चार सप्ताह के भीतर विद्वान न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दोगा।

15. यदि याचिकाकर्ता इस निर्णय की तारीख से चार सप्ताह के भीतर विद्वान निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विद्वान निचली अदालत याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने से लेकर कानून के अनुसार नए सिरे से उचित आदेश पारित करेगी।

16. परिणामस्वरूप, यह अपराधिक विविध याचिका स्वीकृत की जाती है।

(न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,राँची
दिनांक, 26,फरवरी,2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष

यह अनुवाद मो. अशरफ हुसैन अंसारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।N